

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 26] No. 26] नई दिल्ली, जून 23—जून 29, 2019, शनिवार/आषाढ़ 2— आषाढ़ 8, 1941 NEW DELHI, JUNE 23—JUNE 29, 2019, SATURDAY/ASADHA 2— ASADHA 8, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 2019

सा.का.नि.186.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रयोगशाला सहायक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर भर्ती नियम, 1976 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-I) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

deputation and similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

[F. No. A-12018/13/2017-EPI] G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जून, 2019

सा.का.नि.190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में पशु पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, पशु पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.— वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- [
	पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या	सीधे भर्ती किए जाने वाले
				स्तर या वेतनमान	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पशु पर्यवेक्षक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200 -92300)	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45
						वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश. मिजोरम मणिपर
						प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविधालय या		जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा,

संस्थान से जीव विज्ञान विषय में साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) पशु प्रसुविधा की अनुमोदित प्रयोगशाला जो कि पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति के रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव।		दोनों के न हो सकने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा।
वांछनीय: मान्यताप्राप्त संस्थान से पशुपालन में डिप्लोमा।		
टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा		भर्ती करने में किन
भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित	' ·	परिस्थतियों में संघ
या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	•	लोक सेवा आयोग से
	·	परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
	(12)	(13)
प्रोन्नति: वैज्ञानिक सहायक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के	लागू नहीं होता।
	संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	
िटिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध		
में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेव	ा (i) निदेशक, बीसीजी वी एल, चेन्नई - अध्यक्ष	•
पूरी कर ली है, प्रान्नित के लिए विचान	(ii) प्रशासनिक अधिकारी, बीसीजी वी एल,	
किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तिये	चेन्नई - सदस्य	
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंत्		
यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी		
अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या		
पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष		
से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार	
उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले	(i) निदेशक, बीसीजी वी एल, चेन्नई - अध्यक्ष	
ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	(ii) प्रशासनिक अधिकारी, बीसीजी वी एल,	
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	चेन्नई - सदस्य	
	(iii) पशु चिकित्सक, बीसीजी वी एल,	

सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	चेन्नई	- सदस्य	
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे	(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के	ī	
अधिकारीगण -	राजपत्रित अधिकारी	- सदस्य	
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग			,
में नियमित आधार पर सदृश पद			
धारण किया हुआ है; या			
(ii)			
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु.			į
25500-81100) या समतुल्य में नियमित			.
आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में			
पांच वर्ष की सेवा की हो, और			
(H) THE (7) + 200 + 200 - 200 - 200			
(ख) स्तभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक		•	
अर्हताएं और अनुभव रखता हो।			
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय			
अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में	•		
हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार	•	•	
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार			İ
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति			
के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं			,
होंगे।			
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके			
अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी			
अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से		•	
ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य			
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,			
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के			
लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त		ļ	ļ
करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		ĺ	
नावन पहा हामा ।			

[फा.सं.ए-12018/09/2017-ईपीआई] जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 17th June, 2019

G.S.R.190.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Animal Supervisor in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. Short title and commencement .—(1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Animal Supervisor (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2019.

- (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix. The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.


- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number	Classification	Level in the pay	Whether	Age-limit for direct recruits
post	of post		matrix	selection post	
				or non -	
		·		selection	j
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Animal	1* (2019)	General	Level – 5 in the	Non-selection	Not exceeding thirty years.
Supervisor.	1	Central ·	pay matrix	1	(Relaxable for departmental
	*Subject to	Services,	(Rs 29200-		candidates upto the age of
·	variation	Group 'C'	92300).		forty years in the case of
	dependent on	Non- Gazetted,			general candidates and upto
	workload.	Non-			forty-five years in case of
		Ministerial.		ļ·	candidates belonging to the
					Schedule Castes or the
•					Schedule Tribes in
	•			}	accordance with the
					instructions or orders issued
					by the Central Government).
					Note: The crucial date for
					determining the age-limit
			·		shall be the closing date for
					receipt of applications and not
					the closing date prescribed for
					those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh, Mizoram,
٠					Manipur, Nagaland, Tripura,
		,			Sikkim, Ladakh division of
					Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti District and
				[Pangi Sub-Division of
		ļ			Chamba District of Himachal
					Pradesh, Andaman and
-					Nicobar Island and
	ļ <u>.</u>				Lakshadweep.

Essential: (i)Bachelor's Degree in Science with Zoology as one of the subject from a recognised University or Institute. (ii) one year experience in maintenance Committee for the Purpose of Control and Supervision on Experiments on Animals (CPCSEA) approved laboratory of animal facility. Desirable: Diploma in Animal Husbandry from recognised Institute. Note: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(i)Bachelor's Degree in Science with Zoology as one of the subject from a recognised University or Institute. (ii) one year experience in maintenance Committee for the Purpose of Control and Supervision on Experiments on Animals (CPCSEA) approved laboratory of animal facility. Desirable: Diploma in Animal Husbandry from recognised Institute. Note: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be	(7)	(8)	(9)	
reserved for them.	(i)Bachelor's Degree in Science with Zoology as one of the subject from a recognised University or Institute. (ii) one year experience in maintenance Committee for the Purpose of Control and Supervision on Experiments on Animals (CPCSEA) approved laboratory of animal facility. Desirable: Diploma in Animal Husbandry from recognised Institute. Note: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies		Two years for direct	By promotion failing which by deputation, failing both by direct

In case of recruitment by promotion	If a Departmental Promotion Committee	T
or deputation or absorption, grades		Circumstances in
from which promotion or deputation	is its composition	which Union Public
or absorption to be made		Service Commission
or assorption to be made		is to be consulted in
(11)		making recruitment
Promotion:	(12)	(13)
	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable.
Scientific Assistant with five years	(for considering promotion) consisting of:-	••
regular service in grade.	(i) Director, BCGVL, Chennai —Chairman;	
Note: Where juniors who have completed their qualifying or	(ii) Administrative Officer, BCGVL,	
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(a	
	Triember,	
considered for promotion, their	(iii) Veterinarian, BCGVL, Chennai —Member;	ĺ
seniors would also be considered	(iv) Gazetted Officer from Central or State	
provided they are not short of the	Government —Member.	
requisite qualifying or eligibility	Departmental Confirmation Committee (for	
service by more than half of such	considering confirmation) consisting of:-	
qualifying or eligibility service or two	(1) 101	
years, whichever is less and have		
successfully completed their	(ii) Administrative Officer, BCGVL,	
probation period for promotion to the	Chennai —Member;	
next higher grade along with their	(iii) Veterinarian, BCGVL, Chennai —Member;	
juniors who have already completed	(iv) Gazetted Officer from Central or State	
such qualifying or eligibility service.	Government —Member.	
Deputation:	TADINOUI.	-
Officers of the Central Government.		
(a) (i) holding analogous posts on		,
regular basis in the parent cadre or		
Department; or		



[F.No. A-12018/09/2017-EPI]
G. K. PILLAI, Under Secv.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

सा.का.नि.191.—दिनांक 22 जनवरी, 2019 के सा.का.नि. 41 के द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के समूह 'ग' पदों के लिए भर्ती नियमों से संबंधित समसंख्यक अधिसूचना में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

"प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अंतर्गत कॉलम-11 में अपर श्रेणी लिपिक के पद के लिए अनुसूची में ''केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों" के लिए ''केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त अथवा संविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 6-21/2010-आरओएचक्यू] अभिजीत रॉय, अवर सचिव